हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2/7/2024 आज यह पत्रावली अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मूल प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत छोटी तारीख बाबत, स्वीकार होने से आज कि तारीख पेशी पर ली गई। हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया।तथा वहुलाप की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त उनवान का प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण ने विस्तृत वजुहात के साथ न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया है। जिसमे आराजी ख०न० $\frac{109}{0.16}$, $\frac{116}{0.23}$, $\frac{128}{0.39}$, $\frac{174}{0.22}$, $\frac{175}{0.32}$, $\frac{176}{0.38}$, $\frac{177}{0.39}$, $\frac{183}{0.40}$, $\frac{184}{0.28}$, $\frac{185}{0.26}$, $\frac{186}{0.40}$, $\frac{187}{0.61}$, $\frac{259}{0.40}$, $\frac{260}{0.34}$, $\frac{265}{0.42}$, $\frac{266}{0.41}$, $\frac{306}{1.81}$, $\frac{349}{0.42}$, $\frac{513}{1.13}$, कुल रकिबा 19 रकबा 8.97 है० वाके ग्राम बहरोड तर्फ बलराम मे स्थित है। जिसमे राजस्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण स० 01 ता० 8 राजस्व दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2076-79 की दस्तावेज के मुताबिक प्रार्थना पत्र के पद इन्द्राज के मुताबिक प्रार्थना पत्र के पद स० 2 मे वर्णित विवादित आराजी के संयुक्त खातेदार काश्तकार अंकित है। विवादित आराजी अविभाजित है जिसमे अच्छी व बुरी मे से बुरी जमीन मे से अच्छी व बुरी मे संयुक्त रूप से प्रार्थी का 1/4 हिस्सा का संयुक्त रूप से काश्त तथा भौतिक रूप से काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। अप्रार्थीगण नम्बर 01 ता० 8 मुँहजोर व लडाकू व्यक्ति है तथा राजनैतिक लोगो से मेलजोल रखते है जो अप्रार्थीगण न० 9 से विवादित आराजी का मुन्तकिली दस्तावेज निष्पादित व पंजीबद्ध कराने को तत्पर है तथा अप्रार्थीगण राजस्व इन्द्राज परिवर्तित कराने को तत्पर है तथा अप्रार्थीगण अपने इरादे मे कामयाब हो गये तो प्रार्थी अपने जायज व कानूनी हक हकूक विवादित आराजी प्रार्थना-पत्र के पद स० 02 मे	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramkishor Mina
Date: 2025.03.17 15:26:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

वर्णित से वंचित हो जायेगा। जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की पूरी पूरी सम्भावना है। लिहाजा दावा हुक्म इम्तनाई दवामी है। लिहाजा दावा हुक्म इम्तनाई दवामी जो न्यायालय किया जाना लाजिम आया जो न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थी को श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थी को इस आशय की हुक्म इम्तनाई दवामी अप्रार्थीगण प्राप्त करने का खिलाफ अप्रार्थीगण स. 1 लगा. 08 मुस्तहक है। कि अप्रार्थीगण स. 1 लगा. 08 प्रार्थना-पत्र के पद स. 02 में वर्णित विवादित आराजी का जब तक विधिक प्रक्रिया से विभाजन ना हो तब तक अपना हक हकूक खातेदारी दीगर व्यक्ति को रहन बय हिबा या अन्य प्रकार से मुन्तकिल ना करे ना ही स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि से मुन्तकिली दस्तावेज अप्रार्थीगण स. 09 के समक्ष प्रस्तुत करे ना ही अप्रार्थीगण स. 10 से राजस्व रिकार्ड इन्द्राज परिवर्तित करावे इसी कदर प्रतिवादी स. 9 व 10 को पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी स. 1 ल. 08 स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मुन्तकिल दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उसे पंजीकृत व निष्पादित न करने ही राजस्व इन्द्राज परिवर्तित करे। अप्रार्थीगण स. 01 लगा. 08 को मूल दावे के निस्तारण तक आस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

हमारे द्वारा प्रा. पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी न. 1 व 02 के द्वारा जवाब प्रा. पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त अनावश्यक प्रा. पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है जो गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया। जो न्यायालय श्रीमान के समक्ष हस्त से नहीं आया है। सम्पूर्ण आराजी बटवारे का वाद प्रस्तुत नहीं किया। मौके पर 20 वर्ष से वादी व प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

के पिता जगमाल सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपनी सम्पूर्ण कृषि भूमि का बटवारा अपने चारों पुत्रों रामसिंह, रामचन्द्र, रामप्रताप व रामरत्न की इच्छा के मुताबिक कर दिया था। इसी प्रकार ही मौके पर काबिज रहकर आज तक उपभोग उपभोग कर रहे हैं। सत्यापित यह है कि रामसिंह के हिस्से में जो कृषि भूमि आई थी उसे 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्रों के नाम बटवारा कर दिया था तब भी वादी व अन्य प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। आराजी मुतनाजा के 1/4 भाग का मालिक खातेदार मिन अप्रार्थी न. 1 है चुंकि प्रतिवादी न. 1 के पुत्र सुरेश के दोनों बच्चे हायर एजुकेशन में पढ रहे हैं जिनकी शिक्षा पर सुरेश ने काफी खर्चा किया है जिससे उस पर उधार कर्जा हो गया इसलिए वह अपने हिस्से कि आराजी अपना कर्ज चुकता करने के लिए बेचना चाहता है कोटपूतली के लिए बेचना चाहता है किसी को अपने हिस्से तक बेचान करने से नहीं रोका जा सकता है। जमाबन्दी संवत् 2076-79 में पक्षकारान सयुंक्त खातेदार काश्तकार अंकित है लेकिन यह कहना गलत है कि विवादित आराजी अविभाजित है। विवादित आराजी का बटवारा 20-21 वर्ष पूर्व श्री जगमाल सिंह अपने जीवन काल में ही अपने चारों पुत्रों के मुताबिक कर दिये थे। [illegible] 01 लगा. 08 कोई मुहजोर व [illegible] है ना ही कोई राजनैतिक [illegible] है। कुल बोल कोई मनमानी व झूठा दर्ज की गई है वादी को उसका उसके हिस्से का हिस्सा मिला हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramkishor Mina
Date: 2025.03.17 15:20:39 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... जो इस हुकम ...
	कोई बेचान नही किया गया है। प्रतिवादी के पौत्र एम.ए. बी.एस. कर रहे है जिनके लिए बड़ा डोनेशन दिया गया है व उनकी पढाई का भी भारी खर्चा है उनका भविष्य सुधारने के लिए उनके माता-पिता का प्रथम कर्तव्य है उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रतिवादी ने अपने नाम व अपने हिस्से की जमीन का बेचान किया जा रहा है। इसलिए वादी को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नही होती है ना ही उसे सह खातेदार के विरुद्ध हुकम इतनाई दवामी की रिलिफ प्राप्त करने का अधिकार नही है। इसलिए प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने योग्य है। खारिज किया जावे।	
	प्रतिवादी / अप्रार्थी नं. 03 ता 08 ने जवाब प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र इस सीमा तक स्वीकार है कि जमाबन्दी संवत 2076-79 में पक्षकार संयुक्त खातेदार कायतकार अंकित है। लेकिन यह कहना गलत है कि विवादित आराजी अविभाजित हो। विवादित आराजी का बंटवारा 20-21 वर्ष पूर्व वादी व जरि. न. 4 ता 08 स. 1 व 2 के पिता तथा जरि. न. 4 ता 08 के दादा श्री जगमाल सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने छोटा पुत्र रामसिंह, रामप्रताप, रामचन्द, व रामरतन की रजामंदी के मुताबिक कर गये थे तब से आज तक इसी प्रकार मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। प्रार्थी रामरतन विवादित आराजी का राजस्व दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2076-79 के मुताबिक संयुक्त खातेदार अंकित है यह कहना गलत	

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... जो इस हुकम ... में ज...
कि प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन व ना पूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के हक में मौजूद नहीं होती है। प्रार्थना-पत्र अप्रार्थी नं. 3 ता 8 खारिज किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।	
हमारे द्वारा वकलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वर्तमान में हम प्रा.पत्र 212 RTAct का निर्णय कर रहे है। अन्य सभी बिन्दुओ पर बाद में विवेचन किया जावेगा। पत्र के निर्णय में विवेचन के कारणों के आधार प्रा. पत्र धारा 212 राज. का.अधि. प्रा. पत्र के निर्णय में तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर विचार करना होता है। उपरोक्त विवादित आराजी जमाबन्दी संवत 2076-79 में ग्राम बहरोड़ तरफ बालराम में विवादित ख. नं. 109, 111, 128, 174, 175, 176, 177, 183, 184, 185, 186, 187, 259, 260, 265, 266, 306, 349, के अनिल पुत्र रामचन्द हि. 1/24, कुसमलता अनिल पुत्र रामचन्द हि. 1/24, प्रवेश देवी पत्नी पत्नी रामचन्द हि. 1/24, मनोज पुत्र रामचन्द हि. 1/24, रामप्रताप 1/24, महेन्द्र पुत्र रामचन्द हि. 1/24, रामरतन पुत्र जगमाल पुत्र जगमाल हि. 1/4, रामरतन पुत्र जगमाल हि. 1/4, हि. 1/4, रामसिंह पुत्र जगमाल दर्ज खातेदार दर्ज है। जाहिर है कि उपरोक्त विवादित ... है। अप्रार्थी गण ... अविभाजित ... विवादित आराजी	

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramkishor Mina
Date: 2025.03.17 15:26:39 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पूर्व से ही विभाजित है। चूंकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण विवादित आराजी में सहखातेदार दर्ज है। हम किसी भी सहखातेदार को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा देना पाबन्दित किया जाना उचित नहीं समझते हैं। जिस वजह से प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। दिनांक 22/4/25 को निषेधाज्ञा के आधार जारी एक पक्षीय निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली कौजल प्रमाण होकर ... हुक्म होकर मूल वाद के साथ शामिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramkishor Mina
Date: 2025.03.17 15:26:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)